

नियम 12 : स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

- (1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन **प्ररूप जीएसटी आरईजी-07** में प्रस्तुत करेगा।
- ¹[(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ²[यथास्थिति, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार या] धारा 52 के उपबंधों अनुसार कर ³[कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या] संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-07** में आवेदन के **भाग क** में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके **भाग क** में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है जो **भाग-क** में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।]
- (2) समुचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
- (3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, ⁴[या एक व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर जिसे उपनियम 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है] धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरईजी-08** में संसूचित किया जाएगा :
- परन्तु** समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा उप-नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

² अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।

³ अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।